अमीरखॉं बनाम बनवारीलाल

28.8.19

अभिभाषक उभय पक्ष को पत्रावली पर सुना गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि चक 6–8 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/32 की भमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर कमीपूर्ति में किया गया है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा जिसके नियमन का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया जा सकता था।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति सामने आने आवंटन अधिकारी द्वारा स्वमेव उक्त आवंटन आदेश इस आधार पर निरन्त किया जा चुका है कि अपीलांट अमीरख़ॉ का नियम 21ए आंवटन नियम 1975 का प्रार्थना पत्र जैरकार है। प्रकरण के पैण्डिग रहने के दौरान राजस्थान उपनिवेशन(इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत रेस्पोडेन्ट बनवारीलाल पुत्र धोंकलराम को दिनांक 20–12–2017 को किया गया आवांटन निरस्त किया जाता है। चूंकि अपीलांट द्वारा जिस आवंटन आदेश के विरूद्व उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का औचित्य समाप्त हो चुका है तथा अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट जरिये निष्प्रभावी खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(संभागीय आयुक्त)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

Scanned by CamScanner